

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बालेन्द्र शुक्ला

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2965

में

2025 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 263

(के साथ 2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2965 में 2025 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 356)

08 जुलाई 2025

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान रिट न्यायालय के निर्णय में न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और राज्यपाल कार्यालय के कामकाज पर की गई टिप्पणियों को विलोपित किया जा सकता है या नहीं?

हेडनोट्स

पटना उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट- खंड 10-भारत का संविधान- अनुच्छेद 226, 21- किसी निर्णय में अनुचित टिप्पणियों का विलोपन-सिद्धांत-टिप्पणियों को विलोपित करने की अपील न्यायालय की शक्ति-आलोचना योग्य निर्णय में न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कुछ अनुचित और प्रतिकूल टिप्पणियों और राज्यपाल कार्यालय के कामकाज पर की गई टिप्पणियों को विलोपित करने की अपील।

निर्णय: किसी पक्ष के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, यदि ऐसी टिप्पणियां तथ्यों के आधार पर मामले के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं हैं-निर्णय में ऐसी किसी भी टिप्पणी का एकमात्र औचित्य मामले के न्यायनिर्णयन के लिए उसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता होगी- न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया में की गई किसी भी टिप्पणी का एक सार्वजनिक या कानूनी उद्देश्य होना चाहिए और यह केवल ऐसे व्यक्ति या संस्थान पर कोड़ा मारने का एक यांत्रिक कार्य नहीं होना चाहिए -माननीय कुलाधिपति के उच्च पद पर कोई भी टिप्पणी, विशेष रूप से कि कुलाधिपति को गुमराह किया गया था या माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश पूर्व-दिनांकित था, स्पष्ट रूप से निश्चित

प्रमाण के अभाव में संयम बरतने के औचित्य का उल्लंघन करता है और ऐसे मुद्दे मामले में न्यायसंगत निर्णय के लिए प्रासंगिक और केंद्रीय नहीं हैं-किसी भी अयोग्य और अवांछनीय टिप्पणी के विरुद्ध शिकायत की स्थिति में, उसे अपीलीय न्यायालय द्वारा संबोधित किया जाना अपेक्षित है और वह टिप्पणियों को हटाने पर विचार कर सकता है लेकिन यह उद्धृत किए बिना नहीं कि की गई टिप्पणियां उचित नहीं हैं या पूरी तरह से गलत या अनुचित हैं, तथ्यात्मक रूप से या अन्यथा-वर्तमान मामले में, यह मानने के लिए कि माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश पूर्व-दिनांकित था, रिट-याचिकाकर्ता को आदेश के संचार की बाद की तारीख से अधिक सबूत की आवश्यकता थी-इस तरह की सहज टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि माननीय कुलाधिपति के निर्णय की सत्यता का निर्णय करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उन पर विचार करना आवश्यक नहीं था-ऐसी टिप्पणियां अयोग्य, अवांछनीय और असभ्य टिप्पणियों की श्रेणी में आएंगी, जिन्हें व्यापक सार्वजनिक हित में निर्णय में नहीं रखा जाना चाहिए-एक न्यायालय पर दूसरे संस्थान के प्रति पारस्परिक सम्मान दिखाने का सह-संबंधित कर्तव्य लगाया गया है क्योंकि न्यायिक संयम और अनुशासन न्याय के व्यवस्थित प्रशासन के लिए अनिवार्य है-न्यायालय की महिमा तभी बढ़ेगी जब उच्च न्यायालय भी खुद को, क्षण भर के लिए भी, न्यायिक सावधानी और औचित्य की अनदेखी करने की छूट नहीं देंगे-प्रतिष्ठा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलुओं में से एक है, जिसे मामले का निर्णय करने की आड़ में छीना नहीं जा सकता-विवादित निर्णय में की गई असभ्य टिप्पणियों को बरकरार रखने के अयोग्य पाया गया और इसलिए उन्हें हटा दिया गया-अपील का निपटारा किया गया। (अनुच्छेद- 24, 26, 28, 31, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 46)

न्याय दृष्टान्त

डॉ. रघुबीर शरण बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1964) एससी 1पर भरोसा किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम, एआईआर 1964 एससी 703; निरंजन पटनायक बनाम शशिभूषण कर एवं अन्य, 1986 (2) एससीसी 569; 'के' ए न्यायिक अधिकारी बनाम 'के' ए न्यायिक अधिकारी के मामले में, 2001 (3) एससीसी 54; ओम प्रकाश चौटाला बनाम कंवर भान एवं अन्य, 2014 (5) एससीसी 417संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

पटना उच्च न्यायालय का लेटर्स पेटेंट- किसी निर्णय में प्रतिकूल टिप्पणियों का विलोपन- किसी अपीलीय न्यायालय की टिप्पणियों को विलोपित करने की शक्ति- मामले के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिकता और आवश्यकता- अयोग्य और अनचाही टिप्पणी- न्यायालय पर सह-संबंधित कर्तव्य- न्यायिक संयम और अनुशासन- न्याय का सुव्यवस्थित प्रशासन।

प्रकरण से उत्पन्न

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2965/2024 में पारित निर्णय।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 263/2025 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता; सुश्री सूर्या नीलांबरी, अधिवक्ता

कुलाधिपति की ओर से: श्री राजेंद्र गिरि, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री सर्वेश कुमार सिंह, एएजी-13; श्री अभिनव आलोक, एएजी-13;

श्री रवि कुमार, एएजी-13

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से: श्री आदित्य सहाय, अधिवक्ता; सुश्री अंकिता कुमारी, अधिवक्ता; मोहम्मद फजले कारी, अधिवक्ता

विश्वविद्यालय की ओर से: श्री बिंध्याचल राय, अधिवक्ता; श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

पीएचसी की ओर से: श्री अशहर मुस्तफा, अधिवक्ता

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 356/2025 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: डॉ. के.एन. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री आर.के. गिरि, अधिवक्ता

श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता; श्री राजीव रंजन कुमार पांडे, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री सर्वेश कुमार सिंह, एएजी-13; श्री अभिनव आलोक, एसी टू एएजी-13; श्री रवि कुमार, एसी टू एएजी-13

विश्वविद्यालय के लिए: श्री बिन्ध्याचल राय, अधिवक्ता; श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

पी.एच.सी. के लिए: श्री अशर मुस्तफा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2965
में
2025 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 263

=====

बालेन्द्र शुक्ल, पिता- श्री जनार्दन शुक्ल, स्थायी निवासी- 16/267, राघव नगर, जीवन मार्ग सोफिया माध्यमिक विद्यालय के पास, थाना- देवरिया खास, जिला-देवरिया (उत्तर प्रदेश); वर्तमान निवासी- क्वार्टर नं. ए/3, श्री कृष्ण सिंह पथ, थाना- शास्त्री नगर, जिला- पटना (बिहार)

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, बिहार, पटना।
5. कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना।
6. कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।
7. कुमारी अंजना, पत्नी- संजय सिन्हा, निवासी- फ्लैट नंबर 301, ब्लॉक बी2, जगमनो कुटीर, आकाशवाणी रोड, खजपुरा, पटना-800014।
8. महानिबंधक , माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

साथ मे

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2965
में
2025 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 356

=====

बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।

... .. अपीलकर्ता

बनाम

1. कुमारी अंजना, पति- संजय सिन्हा, निवासी- फ्लैट नंबर 301, ब्लॉक बी2, जगमनो कुटीर, आकाशवाणी रोड, खजपुरा, पटना-800014।
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
3. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना।
6. कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 263/2025 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए:

श्री पी. के. शाही, महाधिवक्ता

सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता

कुलाधिपति की ओर से :

श्री राजेन्द्र गिरि, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:

श्री सर्वेश कुमार सिंह, ए.ए.जी.-13

श्री अभिनव आलोक, ए.ए.जी.-13 के ए.सी.

श्री रवि कुमार, ए.ए.जी.-13 के ए.सी.

प्रतिवादी संख्या 7 के लिए:

श्री आदित्य सहाय, अधिवक्ता

सुश्री अंकिता कुमारी, अधिवक्ता

मो. फजले कारी, अधिवक्ता

विश्वविद्यालय के लिए:

श्री बिन्धयाचल राय, अधिवक्ता

श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

पी.एच.सी. के लिए:

श्री अशर मुस्तफा, अधिवक्ता

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 356/2025 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए:

डॉ. के. एन. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री आर. के. गिरि, अधिवक्ता

श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता

श्री राजीव रंजन पांडे, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए:

श्री सर्वेश कुमार सिंह, एएजी-13

श्री अभिनव आलोक, एएजी-13 के एसी

श्री रवि कुमार, एएजी-13 के एसी
विश्वविद्यालय के लिए: श्री बिन्ध्याचल राय, अधिवक्ता
श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता
पी.एच.सी. के लिए: श्री अशर मुस्तफा, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 08-07-2025

दोनों अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. हमने एल.पी.ए. संख्या 263/2025 में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के. शाही को सुना है, जो एक न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर किया गया है, जो संबंधित समय में राजभवन में प्रतिनियुक्ति पर थे। श्री राजेंद्र गिरि, माननीय कुलाधिपति के विद्वान अधिवक्ता; उच्च न्यायालय के लिए श्री अशर मुस्तफा और प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रकाश सहाय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री बिन्ध्याचल राय और श्री संजीव कुमार। दोनों मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव आलोक द्वारा किया गया है।

3. हालाँकि शुरू में अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलें अपीलों में आक्षेपित निर्णय के गुण-दोष के साथ-साथ न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कुछ अनुचित, असभ्य और प्रतिकूल टिप्पणियाँ के साथ-साथ राज्यपाल कार्यालय के कामकाज पर भी टिप्पणियों के खिलाफ थीं; लेकिन आज अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्क केवल उनके विरुद्ध निर्णय में की गई टिप्पणियों के विरुद्ध ही रखे हैं, जिन्हें वे

विभिन्न कारणों से हटाने का अनुरोध करते हैं, जैसे कि, ऐसी टिप्पणियां किए जाने से पहले प्रभावित पक्षों में से किसी को भी नहीं सुना गया था; ये टिप्पणियां न्यायालय के किसी सुधारात्मक दृष्टिकोण की प्रकृति की नहीं हैं और इस आधार पर भी कि ऐसी टिप्पणियां उन कारणों की पूर्ति नहीं करतीं जिनके लिए रिट याचिका को अनुमति दी गई थी।

4. पक्षकारों के तर्कों को, उनके विरुद्ध की गई टिप्पणियों के संबंध में, अयोग्य तथा अनावश्यक मानने के लिए, यह उचित होगा कि हम मामले के तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करें, ताकि यह समझा जा सके कि अपीलकर्ताओं द्वारा की गई शिकायती टिप्पणी निर्णय में रखे जाने योग्य है या नहीं।

5. रिट याचिकाकर्ता/कुमारी अंजना को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग में सीडीपीओ के पद पर नियुक्त किया गया था, जहाँ उन्होंने 24 अक्टूबर 2000 को 6500-10,500/- रुपये के वेतनमान पर कार्यभार ग्रहण किया। 13 वर्षों की सेवा के बाद, उन्हें 5400/- रुपये के ग्रेड पे, पीबी-2 में पहला एसीपी (सुनिश्चित करियर प्रोग्रेशन) प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में उप-कुलसचिव के गैर-शिक्षण पदों में से एक के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (इसके बाद 'एकेयू' के रूप में संदर्भित) के एक विज्ञापन के खिलाफ आवेदन किया था।

6. उप-कुलसचिव के पद के लिए विज्ञापन में न्यूनतम योग्यता या तो 6000/- रुपये के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर के रूप में नौ वर्ष का अनुभव, शैक्षिक प्रशासन में अनुभव या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान/अनुसंधान प्रतिष्ठान में तुलनीय अनुभव; या सहायक कुलसचिव के रूप में पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; या समकक्ष पद; स्क्रीनिंग/चयन समिति की सिफारिश पर इस न्यूनतम शर्त में छूट दी जा सकती थी।

7. रिट याचिकाकर्ता पर विचार किया गया और उसे उप-कुलसचिव नियुक्त किया गया, जिस पद पर वह प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हुई और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग में सीडीपीओ के मूल पद पर अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा। बाद में, वर्ष 2014 में उसे विश्वविद्यालय सेवा में स्थायी कर दिया गया। इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में सीडीपीओ के मूल पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसे उप-कुलसचिव के रूप में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से पहले की तिथि से स्वीकार कर लिया गया। बाद में, वर्ष 2014 में कभी-कभी विश्वविद्यालय की सेवा में उनकी पुष्टि की गई। इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में सी. डी. पी. ओ. के मूल पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसे उप-पंजीयक के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की पूर्व तिथि से स्वीकार कर लिया गया था।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाकर्ता का मामला यह था कि पद पर उसकी नियुक्ति और पुष्टि लेखापरीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी थी। अभिलेखों से आगे पता चलता है कि बाद में, उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 5406/2020 के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान, एक निजी व्यक्ति ने एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ता के अनुभव पर सवाल उठाया गया था, जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वविद्यालय में उप-कुलसचिव के पद पर विचार करने और नियुक्त करने के लिए राजी किया था।

9. उपर्युक्त बाद वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया, जिससे उस निजी व्यक्ति को आवश्यक सुधारात्मक निर्णय के लिए माननीय कुलाधिपति कार्यालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता मिल गई।

10. इन परिस्थितियों में रिट याचिकाकर्ता/कुमारी अंजना को उप-पंजीयक के पद पर नियुक्त करने के निर्णय की शुद्धता पर विचार करने के लिए मामला माननीय

कुलाधिपति के समक्ष रखा गया था, क्योंकि चुनौती उनके अनुभव के लिए थी जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में अनुभव की न्यूनतम योग्यता से कम थी।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय कुलाधिपति ने अपने दिनांकित 26.09.2023 के आदेश के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि हालांकि रिट याचिकाकर्ता पद पर नियुक्त होने के लिए शैक्षणिक मानकों को पूरा करता है, लेकिन पद के लिए विचार किए जाने के लिए आवश्यक विज्ञापित अनुभव का अभाव है।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि माननीय कुलाधिपति का यह आदेश रिट याचिकाकर्ता को 06.01.2024 को सूचित किया गया था।

13. मुख्य रूप से मामले के इस पहलू के आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि माननीय कुलाधिपति का आदेश पूर्व-दिनांकित प्रतीत होता है।

14. माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश, जिसमें रिट याचिकाकर्ता/कुमारी अंजना की सेवाएं समाप्त की गई थीं, विभिन्न अन्य आधारों पर टिकने योग्य नहीं पाया गया, जैसे (क) राजभवन में प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारी ने माननीय कुलाधिपति के समक्ष तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया; (ख) माननीय कुलाधिपति कार्यालय में व्यक्ति ने भी पृष्ठभूमि के तथ्यों को इंगित नहीं किया और (ग) वचनबद्ध रोक और (घ) वैध अपेक्षा के आधार पर।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय में उप-कुलसचिव की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने में माननीय कुलाधिपति के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया, जो आक्षेपित निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार की क्षमता के भीतर था या कम से कम राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी।

16. विवादित निर्णय को देखते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के पास जो आधार था वह यह था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि (i) विज्ञापन में आवेदकों के अनुभव मानदंडों में छूट की अनुमति दी गई है; (ii) अनुभव की आवश्यकता की धारणा में ढील दी गई है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता/कुमारी अंजना ने अपनी नियुक्ति पर सवाल उठाए जाने तक एक दशक से अधिक समय तक काम किया था; (iii) इस तरह के विलंबित चरण में विशेषज्ञ समिति के निर्णय पर सवाल उठाने की अक्षमता और (iv) मुख्य रूप से, प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर माननीय कुलाधिपति द्वारा रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के निर्णय तक का समय व्यतीत होना, प्रारंभिक नियुक्ति खराब होने के आधार पर, विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप नहीं होने के कारण।

17. यह आगे प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विश्वविद्यालय में सेवा की पुष्टि के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग में अपने मूल पद से इस्तीफा दे दिया था।

18. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले का फैसला करने के बाद माननीय कुलाधिपति कार्यालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीं; माननीय कुलाधिपति कार्यालय में अधिकारी और प्रतिनियुक्तिदाता/न्यायिक अधिकारी के आचरण और न्यायिक अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए भेजने जैसी आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निर्णय रखने का निर्देश दिया गया।

19. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायिक अधिकारी ने केवल अपने खिलाफ अनुचित टिप्पणियों को हटाने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा दायर अपील में गुण-दोष पर निर्णय को भी चुनौती दी गई थी।

20. हालाँकि, बाद में माननीय कुलाधिपति कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री गिरि ने प्रस्तुत किया कि चुनौती अब केवल राज्यपाल कार्यालय के खिलाफ अनुचित टिप्पणियों तक ही सीमित है, जो मामले के निपटारे के लिए न तो उचित थी और न ही आवश्यक थी।

21. चूंकि अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें निर्णय में ऐसी टिप्पणियों के औचित्य तक सीमित हैं, इसलिए उच्च न्यायालय, जिसका प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री मुस्तफा कर रहे हैं, को मामले की योग्यता पर कुछ नहीं कहना है। अपीलार्थी निर्णय में इस तरह की टिप्पणियों के तर्क तक सीमित हैं, उच्च न्यायालय, जिसका प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री मुस्तफा द्वारा किया जाता है, के पास मामले की योग्यता पर कहने के लिए कुछ नहीं है।

22. अब हम यह उचित समझते हैं कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 52, 53 और 57 से 61 को सम्पूर्णता में उद्धृत किया जाए, जो इस प्रकार है:

52. राजभवन के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने के बाद, अदालत इस निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील में आदेश को केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्य निर्देशों को विफल करने के लिए इसे पूर्ववत करके पारित किया गया था। रिकॉर्ड से, ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई विभिन्न तिथियों पर हुई थी और उसके बाद 26.09.2023 पर आदेश सुरक्षित रखा गया था। 03.10.2023 पर, याचिकाकर्ता द्वारा माननीय कुलाधिपति के कार्यालय में लिखित दलीलें प्रस्तुत की गईं, लेकिन जनवरी, 2024 के पहले सप्ताह में, यानी 06.01.2024, याचिकाकर्ता को फैसले की एक प्रति मिली। इस पहलू पर, अदालत द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) और राज्यपाल के सचिवालय के विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय)

द्वारा नहीं दिया जा सका। उन्होंने केवल मौखिक रूप से माफी मांगकर सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की। अदालत के प्रश्न का उद्देश्य आदेश पारित करने और उसके संचार में हुई देरी की जांच करना था, हालांकि, मौखिक रूप से माफी मांगने के अलावा, विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) और राज्यपाल के सचिवालय के विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय) द्वारा एक भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था, इस प्रकार पूर्व-तिथि का स्पष्ट मामला दिखाया गया था।

53. अनिल राय (उपरोक्त) के निर्णय का अनुपात न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले सभी संस्थानों पर पूरे देश में पूरी ताकत से लागू होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस अवधि के भीतर आरक्षित आदेश दिया जाना है, उसे निर्धारित करने और सीमित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अनिवार्य निर्देश से बचने के लिए, विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) और विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय) ने माननीय कुलाधिपति को अंधेरे में रखते हुए अपील के आदेश पर हस्ताक्षर कर लिए।

54. ----

55. ----

56. ----

57. विदा लेने से पहले, मैं इस मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डालना उचित समझता हूँ, जो कार्य की गुणवत्ता, उसके निष्पादन के तरीके तथा माननीय कुलाधिपति सचिवालय के अधिकारियों द्वारा सरकारी जिम्मेदारियों के निर्वहन पर गंभीर चिंता उत्पन्न करते हैं।

58. माननीय कुलाधिपति का पद एक सांविधिक पद है, और माननीय राज्यपाल का पद धारण करने के कारण, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार बिहार विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं और, अपने आधिकारिक, विधायी, कार्यकारी, वैधानिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों के निर्वहन में माननीय कुलाधिपति की सहायता करने के लिए, प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों को बिहार सरकार के प्रचलित नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार एक विशिष्ट कार्यकाल के लिए राज्यपाल सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है। एक बार राज्यपाल के सचिवालय में तैनात होने के बाद ये अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर सटीक तथ्यों, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और मौजूदा न्यायिक उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करता है कि माननीय कुलाधिपति सुविज्ञ निर्णय ले सकें और वैधानिक प्रावधानों और स्थापित न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन में आदेश जारी कर सकें।

59. हालाँकि, वर्तमान मामले में, मुझे माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश में पूर्व-तिथि के आरोप मिले। इसलिए, विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक), श्री बालेन्द्र शुक्ला, और विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), श्री महावीर प्रसाद शर्मा को याचिकाकर्ता की अपील के मूल अभिलेख के साथ दिनांक 21.03.2024 के आदेश के अनुसार सीलबंद लिफाफे में तलब करना उचित समझा गया। अभिलेखों को देखने और उपरोक्त अधिकारियों से पूछताछ करने पर, मैंने पाया कि पूर्व-तिथि के आरोपों में योग्यता थी। नतीजतन, अधिकारी अदालत द्वारा पूछे गए

प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे और इसके बजाय उन्होंने मौखिक रूप से माफी मांगी।

60. मेरी सुविचारित राय में, विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) और विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय) के पद उच्च जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा के पद हैं, क्योंकि न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और कानूनी आदेश या निर्देश पारित करने में माननीय कुलाधिपति की सहायता करना उनका बाध्यकारी कर्तव्य है। हालांकि, वर्तमान मामले में, मैं पाता हूँ कि इन जिम्मेदारियों की न केवल संबंधित अधिकारियों द्वारा अनदेखी की गई है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छुपाया है, जिससे माननीय कुलाधिपति को गलत आदेश पारित करने के लिए गुमराह किया गया है। परिणामस्वरूप, मैं यह मानना उचित समझता हूँ कि संबंधित अधिकारी "विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) और विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय)" अपने-अपने पदों के लिए अयोग्य हैं और उन्हें उचित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।

61. तदनुसार, मैं निर्देश देता हूँ कि यह आदेश विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) श्री बालेंद्र शुक्ला के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, जो अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश का पद धारण करते हैं और माननीय पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा, विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय) श्री महावीर प्रसाद शर्मा के संबंध में, न्यायालय ने माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले को माननीय कुलाधिपति के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।

23. इन पैराग्राफों को मामले से उभरे तथ्यों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जिन्हें हमने पिछले पैराग्राफों में नोट किया है।

24. विद्वान एकल न्यायाधीश की ऐसी टिप्पणियों की आवश्यकता या सत्यता पर टिप्पणी करने से पहले, हमें इस बात पर जोर देना होगा कि अनगिनत बार, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी पक्ष के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी से बचना चाहिए, यदि ऐसी टिप्पणियां तथ्यों के आधार पर मामले के निपटान के लिए आवश्यक नहीं हैं।

25. यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों/संस्थानों के लिए लागू होता है जो कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं।

26. निर्णय में ऐसी किसी भी टिप्पणी का एकमात्र औचित्य मामले के निर्णय के लिए इसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता होगी।

27. फिर भी, टिप्पणी करने वाले व्यक्ति/संस्थान को अपना बयान दर्ज कराने का अवसर दिया जाना चाहिए।

28. एक और कारण है जिसे किसी मामले का निर्णय लेने वाले न्यायाधीश द्वारा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि निर्णय की प्रक्रिया में की गई किसी भी टिप्पणी से सार्वजनिक या कानूनी उद्देश्य पूरा होना चाहिए और यह केवल ऐसे व्यक्ति या संस्था पर कार्रवाई करने का एक यांत्रिक कार्य नहीं होना चाहिए।

29. श्री शाही और श्री गिरि ने एक स्वर में प्रस्तुत किया कि मुद्दा समाप्त होने और विवाद के हल होने के बाद एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों से उसकी पेशेवर स्थिति और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

30. माननीय कुलाधिपति के कार्यालय में न्यायिक अधिकारी की भूमिका केवल आकस्मिक और सलाहकार है।

31. माननीय कुलाधिपति के उच्च पद पर कोई भी टिप्पणी, विशेष रूप से यह कि कुलाधिपति को गुमराह किया गया था या कि माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश पूर्व-दिनांकित था, स्पष्ट रूप से निश्चित प्रमाण के अभाव में संयम बरतने के औचित्य का उल्लंघन करता है और ऐसे मुद्दे मामले में न्यायसंगत निर्णय के लिए प्रासंगिक और केंद्रीय नहीं हैं।

32. वर्ष 1964 में, *डॉ. रघुबीर शरण बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1964) एससी 1* के मामले में, यह मुद्दा उठा था कि क्या अपीलीय न्यायालय की उसमें की गई टिप्पणियों को हटाने की अंतर्निहित शक्ति का सामान्यतः प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ऐसा विलोपन निर्णय की अंतिमता को कमजोर कर सकता है। ऐसी स्थिति में, निर्णय की शक्ति कम हो सकती है।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां का मुद्दा एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों से संबंधित था, लेकिन तब उस मामले में तय किए गए सिद्धांत सभी मामलों में लागू होंगे जब प्रतिकूल टिप्पणियों की शिकायत की जाती है।

34. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायाधीश को अपने समक्ष मामले के विवरण में अपने मन की बात व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। किसी मामले में न्यायाधीश की ऐसी अभिव्यक्तियाँ विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे मामले के तथ्यों के प्रति उसकी अंतर्निहित प्रतिक्रिया या संभवतः उसकी अभिव्यक्ति की प्रसन्नता।

35. हमारा मानना है कि न्यायिक कार्य का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं किया जा सकता है, यदि कोई न्यायाधीश किसी विशेष अभिव्यक्ति का पालन करता है जिसे उच्च/अपीलीय न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन किसी भी अनुचित और अनुचित टिप्पणी के खिलाफ शिकायत की स्थिति में, इसे अपीलीय न्यायालय द्वारा संबोधित किया जाना आवश्यक है। उस मामले में, अपीलीय न्यायालय टिप्पणियों को

हटाने पर विचार कर सकता है, लेकिन यह उल्लेख किए बिना नहीं कि की गई टिप्पणियां न्यायोचित नहीं हैं या तथ्यात्मक रूप से या अन्यथा पूरी तरह से गलत या अनुचित हैं। एक न्यायाधीश के स्व-अधिरोपित कर्तव्य के हिस्से के रूप में अप्रासंगिक टिप्पणियों, जो एक तरह से निंदा या कलंकित करती हैं, को त्याग दिया जाना चाहिए।

36. और, जब भी परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय की ऐसी शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि टिप्पणियां अप्रासंगिक और अनुचित हैं। [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 703; निरंजन पटनायक बनाम शशिभूषण कर और अन्न 1986 (2) एस. सी. सी. 569; 'के' मामले में एक न्यायिक अधिकारी बनाम 'के' मामले में एक न्यायिक अधिकारी, 2001 (3) एस.सी.सी. 54 और ओम प्रकाश चौटाला बनाम कंवर भान और अन्य; 2014 (5) एस.सी.सी. 417 का भी उल्लेख करें।]

37. हम मानते हैं कि यह मानने के लिए कि माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश पूर्व-दिनांकित था, रिट-याचिकाकर्ता को आदेश के संचार की बाद की तारीख से अधिक सबूत की आवश्यकता थी।

38. हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि केवल उनके इस निष्कर्ष पर सवाल उठाया है कि आदेश पूर्व-दिनांकित था।

39. यद्यपि, विवादित निर्णय के मुख्य भाग में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिनियुक्ति पर न्यायिक अधिकारी और माननीय कुलाधिपति कार्यालय के एक अन्य अधिकारी को एक अवसर पर बुलाया गया था, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए ऐसा बुलावा पर्याप्त नहीं होगा या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके

कि अधिकारियों ने माननीय कुलाधिपति को गुमराह किया और सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है या माननीय कुलाधिपति का कार्यालय निष्क्रिय हो गया है।

40. हम दोहराते हैं कि इस तरह की बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माननीय कुलाधिपति के निर्णय की सत्यता पर निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस पर विचार करना आवश्यक नहीं था, जिसमें कहा गया था कि रिट याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के उप-कुलसचिव के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक अनुभव की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

41. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि ऐसी टिप्पणियां पूरी तरह से अनावश्यक थीं और यह भी कि न्यायिक अधिकारी या माननीय कुलाधिपति कार्यालय के अधिकारी को न्यायालय के इस तरह के निष्कर्ष के साथ सामना किए बिना, ऐसी टिप्पणियां असंबद्ध, अयोग्य और अनुचित टिप्पणियों की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें व्यापक सार्वजनिक हित में निर्णय में बनाए नहीं रखा जाना चाहिए।

42. एक न्यायालय पर दूसरे संस्थान के प्रति आपसी सम्मान दिखाने के लिए एक सह-संबंधित कर्तव्य लगाया गया है क्योंकि न्याय के व्यवस्थित प्रशासन के लिए न्यायिक संयम और अनुशासन अनिवार्य है।

43. न्यायालय की गरिमा तभी बढ़ेगी जब उच्च न्यायालय भी, क्षण भर के लिए भी, न्यायिक सावधानी और औचित्य की अनदेखी करने की छूट न दें।

44. इस संदर्भ में, हम **ओम प्रकाश चौटाला (उपरोक्त)** के निर्णय के कुछ निर्देशात्मक अनुच्छेदों का उल्लेख करना उचित समझते हैं जो न्यायाधीशों के लिए अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इस प्रकार हैं:

19. यह कहने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि एक न्यायाधीश को किसी भी प्रकार की धारणा से निर्देशित नहीं होना चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया एक न्यायाधीश या एक न्यायनिर्णायक से संयम लागू करने, अवधारणात्मक व्यक्तिपरकता को बहिष्कृत करने, अपनी भावनाओं को अपने तर्क के अधीन करने और निष्पक्ष रूप से सोचने की अपेक्षा करती है। उनसे न्यायिक प्रक्रिया और शिष्टाचार के स्थापित मानदंडों द्वारा निर्देशित होने की उम्मीद की जाती है। एक निर्णय में बयानबाजी हो सकती है लेकिन उक्त बयानबाजी को तर्क के साथ तैयार किया जाना चाहिए और कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। अन्यथा एक मात्र बयानबाजी, विशेष रूप से एक निर्णय में, किसी व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना हो सकती है और अदालतों से किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, विशेष रूप से तब जब वह इसके समक्ष पक्षकार नहीं है। उस संदर्भ में, बयानबाजी बिना कारण और बिना जड़ के बन जाती है। यह सोचने की प्रक्रिया को अंधा कर सकता है। एक न्यायाधीश को यह याद रखना आवश्यक है कि विनम्रता और संयम के प्रति सम्मान तथा विचारों की शुद्धता उपयुक्त अभिव्यक्ति का आधार हैं। इस संबंध में, हम लाभप्रद रूप से फ्रैंकफर्टर, फेलिक्स, क्लार्क, टॉम सी., [16] के एक अंश का उल्लेख कर सकते हैं:

“न्यायिक कर्तव्य का सर्वोच्च अभ्यास अपने व्यक्तिगत आकर्षण और अपने निजी विचारों को उस कानून के अधीन करना है जिसके हम सभी संरक्षक हैं-वे अवैयक्तिक विश्वास जो एक समाज को एक सभ्य समुदाय बनाते हैं, न कि व्यक्तिगत शासन के शिकार।

20. उक्त विद्वान न्यायाधीश ने कहा था:-

“न्यायालय में एक न्यायाधीश के कार्यकरण के लिए निर्णायक बात यह है कि कानून के प्रति उसका सामान्य दृष्टिकोण, मन की आदतें जो उसने बनाई हैं या जो उसे अस्थिर करने में सक्षम हैं, अलगाव के लिए उसकी क्षमता, उसके सामने अपने निर्णय के बजाय अपने जुनून को पीछे रखने के लिए उसका स्वभाव या प्रशिक्षण।[17]”

21. इस प्रकार, एक न्यायाधीश को अपने जुनून को त्याग देना चाहिए। उसे लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि उसका एकमात्र स्वामी "सत्य के प्रति कर्तव्य" है और इस तरह के सत्य को कानूनी मापदंडों के भीतर लाया जाना चाहिए। कोई वीरता नहीं, कोई बयानबाजी नहीं।

45. उपर्युक्त अनुच्छेदों में, स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि प्रतिष्ठा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलुओं में से एक है, जिसे किसी मामले का निर्णय करते समय हल्के में नहीं लिया जा सकता।

46. इन आधारों पर, हम पैराग्राफ 52, 53 और 57 से 61 में अनुचित टिप्पणियों को निर्णय में बनाए रखने के योग्य नहीं पाते हैं और हम उन्हें हटा देते हैं।

47. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने रिट याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय के औचित्य और शुद्धता पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जिसे यहां किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि केवल माननीय कुलाधिपति कार्यालय; माननीय कुलाधिपति कार्यालय के अधिकारी और प्रतिनियुक्ति पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी की है, जो इस मामले के निपटान के लिए पूरी तरह से अनावश्यक हैं।

48. इसलिए, हम मानते हैं कि ऐसे पैराग्राफों में निर्णय की किसी भी बात को संस्थान और अधिकारियों के विरुद्ध निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसी

टिप्पणियां माननीय कुलाधिपति कार्यालय के अधिकारी तथा न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी शामिल नहीं होंगी।

49. इस प्रकार दोनों अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

कृष्ण/मनोज-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।